न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3054–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदवनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 01/अ–23/2009–10.

1. गजाधर सिंह पुत्र श्री नर्वदा सिंह
2. बाबूलाल सिंह पुत्र श्री नर्वदा सिंह
   निवासीगण ग्राम अमहवा तहसील
   गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. बुधनी उर्फ सुकबरिया कौल पत्नी स्व0 रमुआ कौल
2. मुनीष पुत्र स्व0 रमुआ कौल
3. सेमुआ कौल पुत्र रंचा कौल
   निवासीगण ग्राम बटौली तहसील गोपदवनास
   जिला सीधी म0प्र0
4. रामलाल यादव पुत्र रामजियावन यादव
5. राधे यादव पुत्र रामजियावन यादव
   निवासीगण ग्राम अमहवा तहसील
   गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री चन्द्रकांत मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 लगायत 3
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क 4 एवं 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09-06-2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी

गोपदवनास जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 के पति एवं 2 के पिता रमुआ एवं अनावेदक कमांक 3 सेमुआ द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 4 एवं 5 को पक्षकार बनाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 170 (ख) एवं 250 के अन्तर्गत आवेदन ग्राम भूमि खसरा कमांक पुराना 57/2, 18, 55 रकबा कमशः 2.56 एकड़ 0.67 एकड़ एवं 2.22 एकड़ ग्राम अमहवा वर्ष 1956–57 से वर्ष 1960–61 में उनके पिता रंचा कोल के नाम से प्रविष्टि है और उक्त भूमि उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि से आवेदकों को बेदखल कर कब्जा वापस दिलाया जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की। तलवी पश्चात जबाव आया और उभय पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने पर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हुआ। तब आवेदकगण की ओर से प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की कि वर्ष 1958–59 की खतौनी के अभाव में प्रकरण प्रचलनशील नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–7–2012 के द्वारा आवेदकगण की प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन निरस्त किया और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक द्वारा विधिवत जबाव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उल्लेख किया था कि विवादित भूमि पर रंचा कौल का भी स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमियां स्व0 नर्वदा सिंह के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में उनका नाम वर्ष 1956–57 से भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित है व निरंतर उक्त भूमियों पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। यह भी तर्क किया कि प्रकरण में संहिता की धारा 170(ख) के अधीन विचारणीय नहीं है क्योंकि

अनावेदक कमांक 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसका कब्जा वर्ष 1956–57 में बताया है जबकि वास्तविक रूप से उक्त वर्षों में उनका कोई कब्जा तथा स्वत्व अभिलेखों में नहीं रहा। जहां तक संहिता की धारा 250 के तहत कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में दो वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई है। उक्त समय–सीमा में अनावेदकगण द्वारा कोई काई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए उक्त आवेदनपत्र प्रचलनशील नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य था। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण के प्रचलनशील नहीं होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी बताया कि ग्राम अमहवा की आराजी वर्ष 1956–57 से वर्ष 1960–61 के खसरे में बतौर भूमिस्वामी उसके पिता एवं बाबा तथा ससुर रंचा कौल का नाम दर्ज अभिलेख है। ऐसी स्थिति में खतौनी में भूमिस्वामी दर्ज माना जायेगा जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त खतौनी अभिलेख में उपलबध नहीं है औन नही उनकी ओरसे प्रस्तुत की गई है। बिना किसी प्रमाण के अथवा साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पिता रमुआ एवं अनावेदक कमांक 3 सेमुआ द्वारा इस आधार पर संहिता की धारा 170(ख) एवं 250 का आवेदन पेश किया था ग्राम अमहवा की वे विचाराधीन भूमि के बतौर भूमिस्वामी वर्ष 1956–57 से 1960–61 तक के राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वर्ष 1956–57 से 1960–61 के पंचशाला खसरा में रंचा कोल के नाम में लाल स्याही से गोला लगाकर आवेदकगण के पिता नर्वदासिंह वल्द पंजाब सिंह परिहार दर्ज करा लिया है जिसमें किसी प्रकरण कमांक व किसी न्यायालय के आदेश का हवाला दर्ज नहीं है। आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी ने छलकपट के सहारे हड़प ली

है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन पेश किया जबकि प्रकरण साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अंतिम तर्क हेतु नियत था। प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति प्रकरण के प्रारम्भिक स्तर पर की जा सकती है। तर्क में यह भी कहा कि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के नाम कैसे हुई अन्तरण का आधार क्या है उक्त तथ्यों का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम निराकरण में होना शेष है। आवेदक को अंतिम तर्क में अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने प्रचलनशीलता संबंधी आदेश निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 4 एवं 5 के अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 के पति एवं 2 के पिता रमुआ ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 170 (ख) एवं 250 के अन्तर्गत आवेदन ग्राम भूमि खसरा कमांक पुराना 57/2, 18, 55 रकबा कमशः 2.56 एकड़ 0.67 एकड़ एवं 2.22 एकड़ भूमि से आवेदकों को बेदखल कर कब्जा वापस दिलाये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण अन्तिम रूप से तर्क के लिए नियत होने के पश्चात आवेदकगण ने प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की, परन्तु जिस आधार पर उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की वह वर्ष 1958–59 की खतौनी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति प्रकरण की प्रारंभिक स्टेज भी की जा

सकती है। एक बार प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत हो जाने के पश्चात प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जिस आधार पर आपत्ति उठाई थी उसके समर्थन वांक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2012 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर